न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—644 / 2012 / 225 (2012 / 00098)

1. हरिनारायण पुत्र नाथू,
2. रामप्रताप पुत्र नाथू,
3. बसन्ती पुत्री नाथू,
4. सम्पति पुत्री नाथू,
5. गोपी पुत्री नाथू,
6. सीता पुत्री नाथू,
7. शंकर पुत्र रामकिशन,
   जाति अचारज (ब्राहम्ण) निवासी केकड़ी, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. किशनलाल पुत्र मुकना, जाति जाट, निवासी जगदीशपुरा, तहसील केकड़ी जिला अजमेर ।
2. प्रेमदेवी पत्नि हंसराज, जाति अचारज ब्राहमण,
3. नन्दकिशोर पुत्र हंसराज, जाति अचारज ब्राहमण,
4. दिनेश पुत्र हंसराज, जाति अचारज ब्राहमण,
   निवासी ब्यावर रोड़, केकड़ी, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।
5. मैना पुत्री हंसराज पत्नि रतन, जाति अचारज ब्राहमण, निवासी रोजा, तहसील जहाजपुरा, जिला भीलवाड़ा ।
6. गोपाल पुत्र भूरा, जाति अचारज ब्राहमण,
7. भागचंद पुत्र भूरा, जाति अचारज ब्राहमण,
   निवासी ब्यावर रोड़, केकड़ी, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।
8. गटूड़ी पुत्री भूरा, जाति अचारज ब्राहमण, निवासी पीपलू, तह0 पीपलू, जिला टोंक ।
9. सोहनी पुत्री भूरा पत्नि रामदेव, जाति अचारज ब्राहमण, निवासी कादेड़ा।
10. कंचन पुत्री भूरा पत्नि देवीलाल, जाति अचारज ब्राहमण, निवासी फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी ।
12. उप पंजीयक, केकड़ी ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 31.8.2012 अंतर्गत प्रकरण संख्या 26 / 2012.

उपस्थितः—

1. श्री पुष्पेन्द्रसिंह नरूका, वकील अपीलांटस ।
2. श्री शंकरलाल चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 से 10 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 10.11.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 31.8.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत अप्रार्थीगण/रेस्पो0 के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि कस्बा केकड़ी, तहसील केकड़ी में स्थित साबिक आराजी खसरा नंबर 4413/2 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा जिसके हाल मौजूदा नंबर 1571 रकबा 0.79 है0 बने है जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2041 में नाथू, शंकर पिसरान रामकिशन व हंसराज, गोपाल पिसरान भूरा कौम अचारज ब्राहमण की खातेदारी में दर्ज चली आई है । नाथू व हंसराज का स्वर्गवास हो चुका है जिसमें नाथू के वारिस वादीगण/अपीलांटस संख्या 1 से 6 है व हंसराज के वारिसान प्रतिवादीगण/रेस्पो0 संख्या 2 से 5 है । उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण/अपीलांटस का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण/रेस्पो0 संख्या 2 से 10 का 1/2 हिस्सा है व इसी अनुसार मौके पर कब्जे काश्त में चले आ रहे है । उपरोक्त आराजी का किसी प्रकार से कोई रहन, बेचान बख्शीश, वसीयत किया हुआ नहीं है न ही किसी प्रकार से न्यायालय का कोई आदेश है परन्तु बिना किसी आदेश व दस्तावेज के जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में इंद्राज कर दिया गया व जमाबंदी संवत् 2041 में अंकित खातेदारों का नाम विलोपित कर दिया गया है जो कतई गलत है । प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है न ही कब्जा काश्त है परन्तु लठ के बल पर अवैध इंद्राज के आधार पर कब्जा करने व बेदखल करने पर आमादा है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 को वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 31.8.2012 द्वारा अपीलांटस का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय क निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनयी है । वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नंबर 1413/2 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा संवत् 2041 की जमाबंदी में अपीलांटस के पिता नाथू के नाम दर्ज थी जिसको भू–प्रबंध विभाग ने बिना सक्षम न्यायालय के आदेश व विक्रय किये अवैधानिक रूप से रेस्पो0 संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी जबकि भू–प्रबंध विभाग को बिना सक्षम न्यायालय के आदेशों के पूर्व इंद्राज को परिवर्तन करने का विधिक अधिकार नहीं था । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअदांज कर प्रार्थना पत्र निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 ने ऐसा कोई भी दस्तावेज या साक्ष्य पेश नहीं की जिससे साबित हो कि विवादित भूमि पूर्व में उसकी खातेदारी की हो या उसने क्रय की है । विवादित आराजियात अपीलांटस की खातेदारी की भूमि है जिस पर अपीलांट काबिज काश्त चले आ रहे है, भू–प्रबंध विभाग ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर रेस्पो0 सख्या 1 के नाम दर्ज की है । त्रुटिपूर्ण इद्रांज से रेस्पो0 संख्या 1 को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते है । वाद के निर्णय तक विवादित

भूमि की सुरक्षा किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांटस का प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 स्वीकार कर रेस्पो0 संख्या 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात रेस्पो0 संख्या 1 के नाम दर्ज होकर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा रेस्पो0 संख्या 1 का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है । नियमानुसार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से अपीलांटस का प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांटस का मुख्य कथन है कि विवादित आराजियात में अपीलांटस का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 2 से 10 का 1/2 हिस्सा है एवं इसी अनुसार मौके पर कब्जे काश्त चले आ रहे है किन्तु बिना किसी आदेश एवं दस्तावेज के विवादित आराजियात जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 में प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी गई । राजस्व जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 में विवादित आराजी किशनलाल वल्द मुकना कौम जाट सा0देह खातेदार दर्ज है । अपीलांटस का यह कथन कि विवादित आराजी सहवन से रेस्पो0 संख्या 1 के नाम दर्ज हुई है इस तथ्य का निर्धारण मूल वाद में बाद साक्ष्य किया जावेगा किन्तु वर्तमान में रेस्पो0 संख्या 1 विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत् रूप से अपीलांटस/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 खारिज किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नही होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस निरस्त योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.8.2012 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.8.2012 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 10.11.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर